



प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,

संयुक्त सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्योग,

कानपुर, उ०प्र०।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनु०-२

लखनऊ: दिनांक: १९ अगस्त, २०२६

विषय: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में उ०प्र० स्टेट सेन्टर हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/२६-२७/१७३८, दिनांक ३०-०७-२०२६ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपीडेस्को द्वारा उ०प्र० स्टेट सेन्टर हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु वर्ष-२०२६-२७ के "आय-व्ययक अनुदान संख्या-००७ की लेखा शीर्ष-२८५२-उद्योग-८०-सामान्य-८००-अन्य व्यय-१७-स्टेट डाटा सेन्टर-४२ अन्य व्यय" की मद के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर के लिए प्राविधानित धनराशि ₹०-९४१९.७० लाख के सापेक्ष धनराशि ₹०-२९,८८,२५,३४७.०० (रूपये उनतीस करोड़ अठ्ठासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ सैतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

१. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-१-४१७/१०-२०१३-१६/९४, दिनांक २६ फरवरी, २०१३ में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
२. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबंधित योजना में पारित एमओयू/निविदा/कार्यदेश की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
३. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५, भाग-१ के प्रपत्र संख्या-६ (ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
४. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
५. स्वीकृत धनराशि का उपयोग एसडीसी के आपरेशनल व्ययों एवं एस.डी.सी. योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।
६. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-२ उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

१- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

२- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 8. स्वीकृत धनराशि भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
 9. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28-03-2026 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को उत्तरदायी होंगे।
 10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।
 11. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
 12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 13. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।
 14. EMS/NMS, Backup Solutions and Others Procurement आदि के क्रय हेतु एन0आई0सी0 एवं तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों/व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाएगी एवं उक्त समिति की आख्या/सुझाव के अनुसार क्रय किया जाएगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,88,25,347 (रुपये उनतीस करोड़ अट्ठासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 के "आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 की लेखा शीर्ष-2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-स्टेट डाटा सेन्टर-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमतीनगर, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
11. संयुक्त सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।